(iii) Diversion of a part of the peak discharge from river Dhans to the old Kamla course from the proposed regulator at Raghauli.

The State Government have carried out investigations but the scheme has not yet been finalised.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Construction of Sluice Gate-cum-Bridge over River Khiroi in Bihar

4270. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether efforts have been made for constructing sluice gate-*cum*-bridge over river Khiroi between villages Hariharpur and Kaligaon in Singhbara Bloc near village Muraisha in Jojiara Bloc in Darbhanga District of Bihar, how many times the water levels have been measured and with what specific results;

(b) whether the above-named sluice gates-*com*-bridge projects have been or are being finalised and implemented from the beginning of 1974;

(c) if so, the particulars of the schedule and expenditure; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDESHWAR PRASAD): (a) to (d). Since 1970 hydrological observations have been carried out for the formulation of a scheme for sulice-gate-*cum* bridge over river Khiroi. It has been reported by the State Government of Bihar that the results of the observations made so far have not been favourable for the formulation of the scheme. They have proposed to collect further data.

केन्द्रीय कानूनों का प्रमाणित हिन्दी संस्करण

4271. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय कानूनों की संख्या कितनी है जिनका प्रमाणित हिन्दी संस्करण अभी तक उपलब्ध नहीं है; और

(ख) क्या केन्द्रीय कानूनों को मूलत : हिन्दी में बनाया जाता है अथवा उन्हें अंग्रेजी में बनाया जाता है और फिर उनका हिन्दी में अनुवाद किया जाता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) 307 केन्द्रीय अधिनियमों के प्रामाणिक हिन्दी रूपान्तर उपलब्ध है। 413 केन्द्रीय अधिनियमों के प्रामाणिक हिन्दी रूपान्तर तैयार किए जाने हैं । इनमें से, 110 केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवादों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और उनके प्रामाणिक रूपान्तरों के शीघ्र ही उपलब्ध हो जाने की संभावना है ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन, संसद् में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों अथवा उन पर प्रस्तावित किए जाने वाले संशोधनों और संसद् द्वारा पारित सभी अधिनियमों तथा राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के प्राधिकृत पाठ, जब तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, अंग्रेजी भाषा में होंगे । अन्यथा उपबन्ध किए जाने के लिए कोई विधि ससद् द्वारा अधिनियमित नहीं की गई है तदनुसार, संसद में पुरःस्थापित विधेयक अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते हैं और तत्पश्चात् हिन्दी में अनुदित किए जाते हैं। संसद द्वारा यथापारित विधेयकों के, उन पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने पर, अधिनियम बन जाने के पश्चात् राजभाषा अधिनियम,